बिहार सरकार

विधि विभाग

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2021

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2021

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2021

विषय–सूची

खण्ड।

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ।

2.. बिहार अधिनियम 21, 2017 की धारा 2 में संशोधन।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2021

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावना:– चूँकि, बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 14, 2017) एवं पटना विश्वविद्यालय संशोधन) अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 15, 2017) के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य को शिक्षक श्रेणी में समाहित कर लिया गया है।

चूँकि, राज्य के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 अधिनियमित है।

अतः बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम में शिक्षक की परिभाषा के अन्तर्गत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य को समाहित किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त के आलोक में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 के प्रावधानों में संशोधन किया जाना अनिवार्य है।

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ ।– (1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 21, 2017 की धारा 2 में संशोधन।– (1) बिहार अधिनियम 21, 2017 की धारा 2 के खण्ड (vi) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"अध्यापक" से अभिप्रेत है विभाग, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संस्था या अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राचार्य (प्रोफेसर), सह प्राचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर), सहायक प्राचार्य (एसिसटेंट प्रोफेसर) तथा प्रधानाचार्य;

(2). बिहार अधिनियम 21, 2017 की धारा 2 में खण्ड (xiii) निम्न रूपेण जोड़ा जाएगा :–

"(xiii)" प्रधानाचार्य से अभिप्रेत है कॉलेज का प्रधान;

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 14, 2017) एवं पटना विश्वविद्यालय संशोधन) अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 15, 2017) के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य को शिक्षक श्रेणी में समाहित कर लिया गया है।

राज्य के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 अधिनियमित है। परन्तु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम में शिक्षक की परिभाषा के अन्तर्गत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य को समाहित नहीं किया गया है।

राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रधानाचार्य की नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से किया जाना है प्रस्तावित है, जिसके लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम में शिक्षक की परिभाषा के अन्तर्गत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य को समाहित किया जाना आवश्यक है

इस निमित बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017) की धारा–2 के खण्ड (vi) में कतिपय संशोधन एवं धारा 2 में कतिपय उपबंधों का जोड़े जाने हेतु इस विधेयक को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(विजय कुमार चौधरी)
भारसाधक सदस्य